राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग | **महिला एवं बाल विकास विभाग**

क्रमांकः एफ 7(42)एनएचएम / सी.एच. / एनडीडी / 2020/795 दिनांक 16/9/2020

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा),
समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
राजस्थान।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 5 से 11 अक्टूबर, 2020 हेतु दिशा–निर्देश

कृमि संक्रमण (Soil Transmitted Helminths) बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयांतराल पर कृमि मुक्त (डिवर्मिंग) करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। राज्य में कोविड–19 महामारी को नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को ध्यान में रखते हुये 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को कृमिमुक्त करने हेतु राज्य के समस्त जिलों में दिनांक 5 से 11 अक्टूबर, 2020 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य करना अपेक्षित है:–

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं (एएनएम, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता) द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों (शहरी एवं ग्रामीण), उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में अरबन पीएचसी के माध्यम से 1–19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई जायेगी।
- कार्यक्रम की मानक संचालन प्रक्रिया राज्य स्तर से निर्धारित की गई है (संलग्न), जिसके अनुसार कार्यक्रम के संचालन के विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना की जानी है।
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान व प्रबंधन हेतु प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सीएचसी / पीएचसी / यू–पीएचसी / एसडीएच / डीएच) में एडवर्स इवेंट रेस्पोंस मैनेजमेंट टीम का गठन किया जाये, साथ ही 108 को तैयार रखा जाए।
- कम्युनिटि मोबलाईजेशन हेतु आशा द्वारा माईक्रोप्लान तैयार किया जाना है, एवं कार्यक्रम के दौरान आशा द्वारा 1–19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर–किशोरियों को मोबिलाईज किया जाये एवं मोबिलाईजेशन हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- रिपोर्टिंग प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण तथा एल्बेंडाजॉल गोलियों का समुचित मात्रा में आशा, एएनएम व आंगनबाडी कार्यकर्ता को वितरण सितम्बर माह में ही किया जाए।
- एनडीडी कार्यक्रम की आईईसी गतिविधि हेतु कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये डिजिटल माध्यम (फेसबुक, वॉट्सअप, ट्वीटर) व टी.वी., रेडियो, न्यूजपेपर से की जानी चाहिए एवं प्रशिक्षण भी वर्चुअल माध्यम से किये जाये।
- एनडीडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कोविड–19 के समस्त दिशा–निर्देशों एवं सुरक्षा उपायो की पालना की जायेगी। कन्टेन्मेंट जोन व कोविड पॉजिटिव घरो में कार्यक्रम का आयोजन कण्टेन्मेन्ट क्षेत्र मुक्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।
- कार्यक्रम की समस्त तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर उपखंड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जानी है। जिसमे स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य सहयोगी विभागों / संगठनों (पंचायती राज, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और स्काउट एवं गाइड) के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाये। उक्त बैठक सम्भवतया वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अथवा कोविड–19 को ध्यान में रखते हुये सभी नियमों के साथ आयोजित की जायेगी।

हमे यह विश्वास हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम में आप सभी के सहयोग से हम 1–19 वर्ष के सभी बच्चों तक पहुंचने में सफल होंगे तथा इन सभी बच्चों को कृमि मुक्त कर बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेगें।

संलग्न – राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 5 से 11 अक्टूबर, 2020 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(श्री अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग
राजस्थान जयपुर

(डॉ. कृष्ण कान्त पाठक)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 7(42)एनएचएम/सी.एच./एनडीडी/2020/1795 दिनांक 16/9/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान से निवेदन हैं कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा की जाए।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान से निवेदन है कि नगर निगम/नगर परिषद/नगर निकाय की सितंबर, 2020 की बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बैठक का एक एजेन्डा रखा जाये ताकि संबंधित प्रतिनिधियों को आमजन को इस विषय पर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को भेजकर निवेदन है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति की सितंबर, 2020 की बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बैठक का एक एजेन्डा रखा जाये ताकि पंचायती राज प्रतिनिधियों को आमजन को इस विषय पर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
7. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग राजस्थान।
8. निजी सचिव, निदेशक, आई. सी. डी. एस. से निवेदन हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु उक्तानुसार दिशा-निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।
9. निजी सहायक, निदेशक (जन-स्वास्थ्य), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
10. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
12. परियोजना निदेषक, एनएचएम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि 104 व 108 एम्बुलेंस व कॉल सेंटर को कार्यक्रम के प्रतिकुल घटनाओ के प्रबन्धन हेतु सुनिश्चित करें।
13. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, राजस्थान।
14. परियोजना निदेशक (शिशु स्वास्थ्य/टीकाकरण), एन. एच. एम. जयपुर
15. राज्य नोडल अधिकारी, आशा एवं एनयूएचएम।
16. राज्य नोडल अधिकारी विफ्स एवं डिवर्मिंग शिक्षा विभाग तथा आईसीडीएस, जयपुर, राजस्थान।
17. अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) समस्त जिलें।
18. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान।
19. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एविडेंस एक्शन, राजस्थान।
20. सर्वर प्रभारी कक्ष को ईमेल एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
चि.स्वा. एवं प.क. विभाग
राजस्थान जयपुर।